MPHIN/2009/34626
डाक पंजीयन क्रमांक
बालाघाट /दैनिक यशोन्नति / 2 /
2016-17

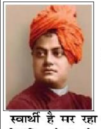

प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, योंकि जीने का यही एक मात्र सिद्धांत है, वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो।
स्वामी विवेकानंद

यशोन्नति

दैनिक यशोन्नति की और खबरों एवं ई पेपर के लिये लॉग इन करें https://dainikyashonnati.com एप डाउनलोड करें

वर्ष 8+16 अंक 41 | प्रधान संपादक- राजेश अग्रवाल | yasonati@gmail.com | सिवनी बुधवार 11 अ टूबर 2023 | संपादक-मनोज मर्दन त्रिवेदी | मूल्य 1.50 पृष्ठ-4

पृष्ठ-2 सिवनी समाचार ..... पृष्ठ-3 बालाघाट समाचार पृष्ठ-4 मंडला समाचार .....

कार और बाइक की भिडंत

सिवनी यशोः- सिवनी जिले की बींझावाडा सड़क मार्ग पर दोपहर के समय एक हादसा हो गया। जहां कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। जिसमें दो स्कूली छात्र घायल हो गए। जानकारी के अनुसार स्कूली छात्र दोपहर में स्कूल से घर की तरफ बाइक में आ रहे थे। वहीं एक कार विपरीत दिशा की तरफ जा रही थी। जहां बींझावाडा के पास दोनों में भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी तेज थी की बाइक सवार यश चंदेल और प्रशांत चंदेल गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस व 108 वाहन में दी। जिसके बाद घायलों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय ले जाया गया। जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जाँच में जुटी गयी है और दुर्घटना होने कारण तलाश रही है ।

उ मीदवारों की दिल की धड़कने हुई तेज

सिवनी यशोः- विधानसभा चुनाव के लिये निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है । आचार संहिता के साथ ही चुनाव का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है । चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही राजनैतिक हलचल भी तेजी से बढ़ गयी है । आम मतदाता अब कयास लगाने लगा है कि विधानसभा में किस पार्टी से कौन प्रत्याशी होगा । हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिले की चार विधानसभाओं में से बरघाट विधानसभा के लिये काफी पहले भाजपा से पूर्व विधायक रहे कमल मर्सकोले को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था और चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही भाजपा की जारी हुई चौथी सूची में जिला मु यालय की विधानसभा सीट सिवनी से विधायक दिनेश राय मुनमुन को अधिकृत प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया । केवलारी एवं लखनादौन के प्रत्याशी भाजपा ने भी घोषित नहीं किये है जबकि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में अभी एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किये है । कांग्रेस की पहली सूची पितृपक्ष के बाद ही घोषित होगी ऐसा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सार्वजनिक रूप से एलान किया है ।

सिवनी विधानसभा में कांग्रेस और केवलारी तथा लखनादौन में भाजपा प्रत्याशियों में रस्साकशी

जानकारी के अनुसार कांग्रेस की ओर से बरघाट विधानसभा के लिये वर्तमान विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया और लखनादौन विधानसभा के लिये योगेश बाबा ठाकुर ही प्रत्याशी होंगे जबकि कांग्रेस से ही केवलारी विधानसभा में बहुत अधिक संभावना रजनीश सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाये जाने का है । केवलारी विधानसभा में ठाकुर रजनीश सिंह की सक्रियता भी इस बात की ओर संकेत कर रही है कि उन्हें पार्टी की ओर से इशारा प्राप्त हो गया है परंतु कांग्रेस का सिवनी विधानसभा से प्रत्याशी कौन होगा यह अनुमान लगाना कठिन है । सिवनी विधानसभा से कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना, लल्लू बघेल, राजा बघेल, आनंद पंजवानी एवं मोहन सिंह चंदेल का नाम चर्चाओं में है ।

सिवनी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर यदि रस्साकशी चल रही है तो भाजपा की दो विधानसभाएँ केवलारी एवं लखनादौन में भी अधिकृत प्रत्याशी कौन होगा इस बात को लेकर असमंजस की स्थिती है । केवलारी विधानसभा में बहुत अधिक संभावना वर्तमान विधायक राकेश पाल को प्रत्याशी बनाये जाने की है परंतु चौथी सूची में भी राकेश पाल का नाम नहीं आने से अन्य दावेदारों की उ मीदे बढ़ गयी है और उनके प्रयास तेज हो गये है । लखनादौन विधानसभा से विजय उईके, अशोक तेकाम, सुनील तेकाम एवं राजेश्वरी उईके के नाम जोर शोर से चल रहे है वहीं संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि पूर्व विधायक श्रीमती शशि ठाकुर के नाम पर भी भाजपा विचार कर रही है ।

महिला प्रत्याशी पर भी हो रहा है विचार

जानकारी पर यदि विश्वास किया जाये तो सिवनी जिले की चारो विधानसभाओं में कम से कम एक विधानसभा में दोनो राजनैतिक दल एक सीट पर महिला को प्रत्याशी बनाने पर भी कसरत कर रहे है महिलाओं एक भी सीट पर चुनाव न लड़ाने से राजनैतिक दलों का संदेश ठीक नहीं जायेगा यह चिंता भी उन्हें सता रही है । दोनो राजनैतिक दलों की स्थिती स्पष्ट है कि भाजपा ने दो विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिये है अब भाजपा केवलारी एवं लखनादौन विधानसभा में प्रत्याशी घोषित करेंगी संभव है इन्हीं दो विधानसभाओं में से किसी एक पर महिला प्रत्याशी का नाम घोषित करें और बहुत अधिक संभावना लखनादौन विधानसभा से की जा रही है । यहाँ पूर्व विधायक श्रीमती शशि ठाकुर या श्रीमती राजेश्वरी उईके के नाम पर विचार किया जा सकता है । वहीं कांग्रेस पार्टी के पास एक मात्र विधानसभा ही ऐसी है जहाँ आंशिक संभावना ही है कि महिला प्रत्याशी यहाँ से घोषित की जाये । राजनैतिक दलों के महिलाओं को महिला आरक्षण के बाद महिल मतदाताओं में भी संदेश देना है ।

पेंच नेशनल पार्क में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया गया

सिवनी यशोः- सिवनी के पेंच नेशनल पार्क में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के दौरान पेच राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन की ओर से आम लोगों को वन प्राणी संरक्षण के लिए जागरूक किया गया।

जानकारी के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व मध्यप्रदेश ओर पेच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के मध्य खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों का संयुक्त आयोजन मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के खवासा में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र ओर मध्यप्रदेश के अधिकारियों व कर्मचारियों की वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के उपलक्ष्य में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

जिसमें वॉलीबॉल, 100 मीटर दौड़, साइकिल 5 मीटर रेस, गोला फेक, कैरम, शतरंज सहित अन्य खेल शामिल किए गए। दिन में खेलकूद कार्यक्रम खवासा में आयोजित हुआ। वहीं शाम को महाराष्ट्र के पेंच मु यालय सिल्लारी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर दोनों पार्क के फील्ड डायरे टर, डिप्टी डायरे टर, एसडीओ सहित वनअमला मौजूद रहा।

स्टैण्डिग कमेटी की बैठक स पन्न

सिवनी यशोः- कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल की अध्यक्षता में स्टैण्डिग कमेटी की बैठक का आयोजन कले ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह, अपर कले टर श्री सीएल चनाप, उप जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना जाट सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।

बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता एवं नामंकन प्रक्रिया के साथ ही साथ निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारी विस्तार से बताई गई। कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभावार सभा स्थलों, हेलीपेड आदि की जानकारी देते हुए सभा, रैली आदि की अनुमतियां प्राप्त करने के लिए सुविधा पोर्टल का उपयोग करने की अपील की गई। इसी तरह सभी से आदर्श आचरण संहिता का पालन करने की अपील की गई।

भूमि जल प्रबंधन पर पीजी कालेज सिवनी हुआ जन-संवाद

सिवनी यशोः- शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी के ऑडिटोरियम में "जल शक्ति मंत्रालय" केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (उत्तर मध्य क्षेत्र) भोपाल,द्वारा स्थानीय भूमि जल प्रबंधन पर जन-संवादकार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (उत्तर मध्य क्षेत्र) भोपाल के क्षेत्रीय निर्देशक महोदय ए.के. विश्वास सहित 6 वैज्ञानिकों की टीम जिसमें लता उद्सैया,चितरंजन विश्वास, सुमांता कुमार मोहांता, कमलेश ओझा, वैष्णवी परिहार, सौ या चौधरी शामिल थी। कार्यक्रम का संचालन शुभी मिश्रा द्वारा किया गया। इस संपूर्ण

कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. रविशंकर नाग द्वारा की गई। जिसमें मु य अतिथि के रूप में डॉ. पूनम अहिरवार सहायक प्राध्यापक (प्राणिशास्त्र विभाग) विशेष अतिथि डॉ. गनेश मंतारे सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) एवं महाविद्यालय परिवार से डॉ. मानसिंह बघेल डॉ. शशिकांत नाग एवं प्रो. अनिल बिंझिया एवं संतलाल डेहरिया उपस्थित रहे। जन-संवाद कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के समस्त छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दी जिसमें सीनियर स्वयंसेवकों में संदीप कुमार उईके, जितेंद्र डहेरिया एवं संध्या कुमरे उपस्थित रहे। भोपाल से आए हुए वैज्ञानिकों की टीम ने सिवनी क्षेत्र के आसपास भूमिगत जल में आई गिरावट एवं उसकी संरक्षण की आधुनिक तकनीक के बारे में अध्यनरत छात्र-छात्राओ को बताया। उनके द्वारा जल की गुणवत्ता जांच संबंधी जानकारियां भी सांझा की गई आने वाले समय में जल संकट से बचने के विभिन्न उपायों पर चर्चा भी की गई। इसके अतिरिक्त अपने आसपास के परिसर एवं क्षेत्र में स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने एवं भूमिगत जल संकट से लोगों को अवगत कराने संबंधी जागरूकता कार्यक्रम के बारे में भी छात्र-छात्राओं को जानकारी दी गई ।संपूर्ण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन करने हेतु भोपाल से आई टीम द्वारा महाविद्यालय प्राचार्य को धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया।

जादू नही विज्ञान है

सिवनी यशोः- ई. एफ. ए. ने.सु. य. हो. शा. उ. मा. वि.

सिवनी मे आज दिनांक 09/10/2023 को जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के परिपालन में जादू नहीं विस्तान है। कार्यक्रम आयोजित किया समस्त कार्यक्रम को कक्षा-9 की छात्रों सक्षम बोल व साथियो के साथ स पन्न किया तथा कार्य के अन्त मे विषय शिक्षक- श्री एन. के. राहंगवले. श्रीमती पूजा पांडे, विजय कुमार शु ला, श्रीमती अकीला खान ने समाज मे व्याप्त अंध विश्वास पर प्रकाश डाला एवं जानकारी व साबधानी को बताया जिसकी स पूर्ण जलकीरी जमा करने हेतु सावर प्रेषित है। नकी चलना, जादू नही विज्ञान के माध्यम प्रदान की।

आज ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ होंगे महाराज अग्रसेन जन्मोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम

सिवनी यशोः- अग्रकुल प्रवर्तक महाराज श्री अग्रसेन का जन्मोत्सव 15 अ टूबर को भव्यता के साथ सिवनी अग्रवाल समाज द्वारा मनाया जाएगा। पांच दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ 11 अ टूबर बुधवार शाम 4 बजे जबलपुर रोड स्थित अग्रोहा धाम में महाराजश्री के ध्वज पताका फहरा कर किया जाएगा। साथ ही मंदिर में भगवान श्री लक्ष्मीनारायण को 56 भोग लगाया जाएगा। ध्वजारोहण श्री राधेश्याम अग्रवाल द्वारा किया जाएगा, इस दौरान अग्रवाल समाज समिति के पदाधिकारी, सदस्य, युवा समिति तथा सामाजिकजन मौजूद रहेंगे। शाम 7 बजे से कक्षा 4 से

8वीं तक के बच्चों के लिए मिमिक्री आफ, 10 वर्ष से अधिक उम्र आयु वर्ग में रिश्तों की डोर कार्यक्रम होगा।सांस्कृतिक कार्यक्रम में नागपुर के प्रसिद्ध डा. श्री वैभव अग्रवाल, श्रीमती सुरभि बंसल अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। 12 अ टूबर गुरूवार शाम 7 बजे से महिलाओं का ग्रुप डांस, कक्षा 4 से 7वीं के बच्चों के लिए जस्ट डांस, कक्षा 11वीं से ऊपर के युवक-युवतियों के लिए डांस व बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस जोड़ी प्रतियोगिता आयोजित होगी।कार्यक्रम में बिजली कंपनी सिवनी वृत्त के अधीक्षण अभियंता श्री प्रद्यु न कुमार अग्रवाल अतिथि के तौर उपस्थित रहेंगे।

सिवनी अग्रवाल समाज समिति के प्रवक्ता श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि आयोजन समिति ने महाराज अग्रसेन के जन्मोत्सव से जुड़े कार्यक्रम में सभी सामाजिक जनों से सपरिवार उपस्थिति का आग्रह किया है।

जिला चिकित्सालय में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया

सिवनी यशोः- सिवनी के इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मन कक्ष के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया।

जानकारी के अनुसार स्वस्थ्य मन. स्वस्थ तन अभियान के अंतर्गत मन कक्ष और शहरी कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर डॉ. जयज काकोडिया ने बताया कि जिला चिकित्सालय में स्थित मन कक्ष के माध्यम से मानसिक रोग जैसे अवसाद, मनोविक्षिप्ता, मिर्गी का दौरा, किशोर

और बाल अवस्था में विकासात्मक विकार, एमनोभ्रम, वृद्ध जनों की मानसिक मनोदशा, शराब की समस्या, व्यवहारात्मक विकार, मानक पदार्थ विकार, स्वयं को नुकसान पहुंचाना, आत्महत्या इत्यादि मनोरोग का इलाज प्रदान किया जाता हैं। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए काउंसिलिंग भी प्रदान की जाती हैं।

आज हुए मानसिक स्वास्थ्य शिविर में 150 व्यक्तियों

की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्क्रीनिंग की गई। जिनमें 25 मरीजों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी लक्षण पाए गए। जिनकी जांच उपरांत आवश्यक दवाइयां दी गई और समय-समय पर कांउसलिग के लिए जिला चिकित्सालय स्थित मन कक्ष में उचित बुलाया गया है।

इस कार्यक्रम का आयोजन शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सिवनी ने किया था। कार्यक्रम में मु य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयपालसिंह ठाकुर, डॉ जयज काकोडिया जिला नोडल अधिकारी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिला सहायक कार्यक्रम प्रबंधक अर्बन हेल्थ संजय मानेश्वर, मन कक्ष नर्सिंग आफिसर सीमा, मनीषा तिवारी सहित उपस्थित रहीं।

जबरन नॉलेज

इस बार प्रदेश और जिले में कमल वाली दिवाली मनेगी - श्रीकांत

सिवनी यशोः- प्रदेश में आगामी दिनों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की एक लड़ाई है जिसमें, एक ओर भाजपा विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे को लेकर चल रही है दूसरी ओर झूठ, फरेब और धोखाधड़ी के इरादों वाली कांग्रेस जैसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के माध्यम से सत्ता हासिल करना चाहती है।

उत्ताशय की बात करते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी श्रीकांत अग्रवाल ने कहा कि, भाजपा की सरकार ने बीमारू मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मु यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की डबल इंजन वाली सरकार लोगों का जीवन बदलने का काम कर रही हैं। हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत हैं, जो प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी की तरह तैनात

एक ओर विकास और जनकल्याण करने वाले है और दूसरी ओर झूठ और जनता का हक छीनने वाले सनातन विरोधी है

हैं। विकास और गरीब कल्याण के जो काम हमारी सरकारों ने किए हैं, उसके आधार पर जिले एवं प्रदेश की जनता भाजपा को आशीर्वाद देगी और अब तक की सर्वाधिक सीटें जीतकर भाजपा इतिहास रचेगी। इस बार जिले एवं प्रदेश में कमल वाली दीवाली मनेगी।

श्री अग्रवाल ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आयुष्मान भारत, उज्जवला और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश को लगातार विकास की सौगातें दे रहे हैं और इनके चलते वे प्रदेश की जनता के मन में बस गए हैं।अब तो जिले को मेडिकल कॉलेजों की सौगात भी मिली है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि 15 महीनों में करप्शननाथ की सरकार ने जनहित की योजनाएं बंद करके जनता के अधिकार छीन लिए थे, जिन्हें मु यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की सरकार ने वापस लौटाया है। अब भाजपा की सरकार प्रदेश को स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रही है और जनता के प्रचंड आशीर्वाद से स्वर्णिम मध्यप्रदेश अवश्य बनेगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन और 24 घंटे काम करने वाला और जरूरत के समय जनता के साथ खड़े रहने वाला दल है। भाजपा सिर्फ चुनावी संगठन नहीं है, जिले में पार्टी के 16 हजार से अधिक कार्यकर्ता सभी 1406 बूथों पर मुस्तैदी से तैनात हैं, जिनमें बूथ के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के कार्यकर्ता शामिल हैं। ये सभी कार्यकर्ता डबल इंजन की सरकारों के काम तथा विकास और गरीब कल्याण के झंडे को लेकर मैदान में हैं और हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं।

श्री अग्रवाल ने कहा कि,इस चुनाव में एक तरफ झूठ, छल-कपट की राजनीति करने वाले लोग हैं, सनातन पर हमले करने वाले लोग हैं। ये विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके गरीबों का हक छीन लेते हैं। ये किसानों, नौजवानों और बहनों को धोखा देते हैं।

श्री अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया था और मि. बंटाढार के नेतृत्व में ये लोग लगातार हिंदुत्व पर हमले करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो हर वर्ग को स मान देती है, 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र को लेकर काम कर रही है। मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार लाडली बहना योजना शुरू की है, जिसमें प्रत्येक बहन को फिलहाल 1250 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 3000 रुपये तक पहुंचाया जाएगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि, हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर दे रही है। जिले की जनता का भाजपा पर अटूट विश्वास है जिले ही नहीं अपितु देश और प्रदेश की जनता भी कांग्रेस के कारनामों को बहुत अच्छी से पहचानती है अतः वह भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत का आशीर्वाद देगी।

अंजली वर्मा का बंडोल में हुआ भव्य स्वागत

राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से हुई स मानित

बंडोल यशोः-सिवनी जिले के बंडोल निवासी श्रीमती बबली विष्णु वर्मा की पुत्री अंजली वर्मा को गत माह जयपुर में एथलेटिक क्षेत्र में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से स मानित किया गया था । इसके बाद वह अपने ग्रह ग्राम बंडोल में प्रथम आगमन पर जगह-जगह उनका भव्य स्वागत सामाजिक, धार्मिक, संगठनों एवं ग्राम के उपसरपंच धानसिंह धन्नू बघेल, विजय साहू, जयदीप ठाकुर,शीलू साहू, विशाल साहू, भूरा पहलवान , राकेश डहेरिया सहित ग्राम के गणमान्य नागरिकों व बड़ी सं या में महिलाएं उपस्थित थी, उपस्थित जनों ने अंजली वर्मा को अनेकों बधाई एवं अग्रिम सफलता के लिए शुभकामनाएं दी

आचार संहिता लगने के बाद सीएम शिवराज के दौरे रद्द, पार्टियों के बैनर-पोस्टर उताराना शुरू

मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद मु यमंत्री को अपने सोमवार के कार्यक्रम रद्द करने पड़े। जबलपुर जिले के सीहोरा के बघराजी में महिला महास मेलन और बरगी में आदिवासी स मेलन होना था। अब किसी भी सरकारी कार्यक्रम में राजनीक दलों के नेता शामिल नहीं हो सकेंगे। अब सरकारी किसी भी प्रकार के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम नहीं होंगे। हालांकि जिनका काम पहले से चल रहा है उनका काम चलता रहेगा। पिछले तीन दिनों से प्रदेश में शिलान्यास पर नेताओं की नारियल फोड़ने को लेकर होड़ लगी है। आचार संहिता लगने से पहले न्यू मार्केट में महापौर मालती राय ने क्वालिटी रेस्टारेंट के पास महिला सुलभ कॉ प्ले स और फीडिंग रूम का उद्घाटन किया।

राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाएं

आचार संहिता लगने के बाद अब प्रशासनिक नियंत्रण मु य निर्वाचन पदाधिकारी के हाथ में चला गया है। आचार संहिता की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन और नगर निगम ने नेताओं के बैनर और पोस्टर उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में यह कार्रवाई शुरू हो गई। अब किसी भी सभा, जुलूस या बारात में बैंड के लिए जिला प्रशासन से अनुमति अनिवार्य होगी।

मध्यप्रदेश में 15 अे टूबर से गुलाबी ठंड की दस्तक

भोपाल। मध्यप्रदेश में अगले सप्ताह से ठंड दस्तक दे देगी। उत्तर भारत में मौसम का पहला पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है। नतीजतन, उत्तरी पहाड़ों में वर्षा की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर व मध्य भारत के क्षेत्रों में पूरी तरह से गर्मी की विदाई हो जाने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में गुलाबी ठंड की शुरुआत 15 अे टूबर से हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में गुलाबी ठंड की शुरुआत 15 अ टूबर से हो सकती है।

हालांकि उससे पहले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में तापमान 30 डिग्री के आसपास रहने की उ मीद है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत में सीजन का पहला पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण मध्यप्रदेश में हवा की दिशा बदलेगी और उत्तर पूर्वी हवाओं के प्रवेश के साथ ठंड दस्तक दे देगी। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून रविवार को रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिलों से भी पूरी तरह से जा चुका है। इस तरह से मानसून ने पूरे प्रदेश से विदाई ले ली है। अब प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। इसके साथ प्रदेशभर में हवाएं भी आठ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी।

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन के लिए 17 नवंबर को होगा मतदान

प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता का स ती से होगा पालन - मु य निर्वाचन पदाधिकारी

निर्वाचन की घोषणा के साथ ही लागू हुई आदर्श आचार संहिता

प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 मतदाता फोटो निर्वाचक नामावली में नामांकित है। इसमें पुरूष मतदाताओं की सं या 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 जबकि महिला मतदाताओं की सं या 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 है। थर्ड जेंडर मतदाता एक हजार 373 है।

भोपाल । मु य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने कहा है कि मध्यप्रदेश में आज से निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 17 नव बर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिस बर को होगी। निर्वाचन की अधिसूचना 21 अे टूबर को जारी होगी और 30 अे टूबर तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। आवेदनों की संवीक्षा 31 अे टूबर को होगी और 2 नव बर को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी।

प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 मतदाता फोटो निर्वाचक नामावली में नामांकित है। इसमें पुरूष मतदाताओं की सं या 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 जबकि महिला मतदाताओं की सं या 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 है। थर्ड जेंडर मतदाता एक हजार 373 है। प्रदेश में 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। शहरी क्षेत्र में 16 हजार 763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47 हजार 760 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मदान केंद्र पर शौचालय, रेंप, व्हील चेयर, पानी, हेल्पडेस्क, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वरिष्ठ नागरिक एवं (पीडब्ल्यूडी) दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र भूतल पर बनाए गए हैं। इन्हें घर से भी मतदान करने की सुविधा (पोस्टल बेलेट) दी गई है। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12 डी भरकर देना होगा। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन सदन में आज से ही राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) द्वारा न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों एवं समाचारों पर निगरानी रखने के लिये जनस पर्क अधिकारियों की टीम 24 घण्टे निगाह रखेगी। मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत सरकारी/ सार्वजनिक/ निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने के लिए नियत सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। टीमों का गठन किया जाकर अंतरराज्यीय नाकों, प्रदेश में अवैध शराब, नगद राशि आदि पर निगरानी रखी जा रही है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित C Vigal ऐप में 2 मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड किए जा सकेंगे। कोई भी नागरिक आयोग को ऐप के माध्यम से शिकायत प्रेषित कर सकेंगे। निर्वाचन के दौरान प्रेक्षकगण संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पर निगाह रखेंगे, जिनमें सामान्य प्रेक्षक, पुलिस और व्यय प्रेक्षक निरंतर निर्वाचन प्रक्रिया को देखेंगे।

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होने के बाद भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर रोक, दशहरा-दिवाली पर नहीं मिलेगी छुट्टी

भोपाल। निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. राज्य में आदर्श आचार संहिता लग गई है. प्रदेश में एक ही चरण में सभी जिलों में 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा, जबकि 3 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे. चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही भोपाल कले टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर चुनाव तक रोक लगा दी है. सभी कर्मचारियों को मु यालय पर रहने का आदेश दिया गया है. साथ ही सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे. इस संबंध में भोपाल कले टर आशीष सिंह ने आदेश जारी कर दिए है.

वहीं दूसरी ओर आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही राजधानी भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है. 144 लागू होने के बाद हर तरह के धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि पर पूर्णतः रोक लग गई है. आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मु यमंत्री आवास, मंत्री, सांसद-विधायकों के निजी स्टाफ में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है.

राजधानी भोपाल में लागू धारा 144

चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजधानी भोपाल में धारा 144 लागू हो गई है. आदेश जारी होने के बाद अब पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक समय पर एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध रहेगा. इसके अतिरिक्त धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस आदि पर भी रोक रहेगी. साथ ही किराए पर किराएदार को रखने, होटलों में लोगों के ठहरने पर उनकी जानकारी पुलिस से साझा करनी पड़ेगी.

सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर लगी रोक

आदर्श आचरण संहिता के साथ ही चुनाव के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लग गई है. इसके बाद कर्मचारी को बाहर जाने के लिए अवकाश लेने हेतु जिला कले टर से अनुमति लेनी पड़ेगी. वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी और कले टर आशीष सिंह ने सभी कर्मचारियों को मु यालय पर रहने के आदेश दिए है.

राहुल गांधी ने कमलनाथ के 12 नाम रिजे ट किए, 150 सीटों पर उ मीदवारों के नाम फाइनल

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के दिल्ली मु यालय से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि श्री राहुल गांधी ने श्री कमलनाथ द्वारा भेजे गए उन 12 नेताओं को रिजे ट कर दिया है, जिन्हें चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने के लिए स्ट्रांग रिकमेंडेशन भेजी गई थी।

कांग्रेस पार्टी - केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिल्ली के सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की छानबीन समिति द्वारा कुछ विधानसभा सीटों पर सिंगल नाम भेजे गए हैं। इसका अर्थ यह है कि, प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे विश्वास के साथ यह कह रही है कि, उपरोक्त विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पास इसे बढ़िया कोई नेता नहीं है। श्री राहुल गांधी ने इनमें से 12 नाम को रिजे ट कर दिया है। यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जो दावेदार कल तक इस बात पर प्राउड फील कर रहे थे कि, उनका सिंगल नाम भेजा गया है। अब उनमें से 12 के टिकट निरस्त हो चुके हैं।

मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के टिकट के लिए राहुल गांधी की सर्वे रिपोर्ट फाइनल डॉ यूमेंट

- या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।
- या कमलनाथ मध्य प्रदेश के अगले मु यमंत्री होंगे।
- या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है।

उपरोक्त तीनों प्रश्नों के उत्तर अलग-अलग हैं। श्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के चयन के लिए सर्वे के कई राउंड कंडे ट किए थे। कई प्राइवेट एजेंसियों को अलग-अलग काम दिए गए थे। इनमें से कुछ एजेंसी तो ऐसी थी जिन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हायर किया और स्टूडेंट्स ने अपने हॉस्टल में बैठकर सर्वे किया।

इस सारी प्रक्रिया से अलग श्री राहुल गांधी की एजेंसी भी सर्वे कर रही थी। उसने न केवल क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कुंडली बनाई बल्कि यह रिपोर्ट भी तैयार की, कि श्री कमलनाथ की टीम भोपाल के बाहर मध्य प्रदेश के जिलों में सक्रिय है या नहीं, और श्री कमलनाथ की एजेंसी किस प्रकार का सर्वे कर रही है।

यही कारण है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में श्री कमलनाथ की फाइल को कंसीडर तो किया गया परंतु फाइनल डॉ यूमेंट श्री राहुल गांधी की सर्वे रिपोर्ट को माना गया। बताया जा रहा है कि, 150 नाम फाइनल कर दिए गए हैं। इसमें से 100 से ज्यादा नाम ऐसे हैं जो राहुल गांधी और कमलनाथ दोनों की फाइल में थे।

एकलव्य स्कूल के 15 अतिथि शिक्षकों को वार्षिक चयन प्रक्रिया से मुक्ति, हाईकोर्ट का आदेश

एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में कार्यरत अथिति शिक्षकों, शक्ति झरिया एवम 14 अन्य द्वारा, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा जारी आदेश दिनांक 31/03/23 को उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका दायर कर मांग की गई थी कि हर वर्ष विज्ञापन चयन के माध्यम से उनकी सेवा समाप्त नही की जावे, जब तक नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो।

अतिथि शिक्षक के स्थान पर अतिथि शिक्षक की भर्ती नहीं कर सकते

पीड़ित अतिथि शिक्षकों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष दायर कर नवीन निर्देशों को चुनौती दी थी। अतिथि शिक्षकों की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने मु य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली युगल पीठ के समक्ष तर्क रखते हुए बताया कि, जनजातीय कार्य विभाग का आदेश दिनांक 30/03/23, इस स्थापित विधि के विरुद्ध है कि जब तक नियमित भर्ती नही की जाए, अतिथि शिक्षकों के एक समूह को दूसरे समूह से प्रतिस्थापित नही किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में जब तक नियमित शिक्षकों की भर्ती नही हो, अतिथि शिक्षकों के स्थान पर, दूसरे अतिथि शिक्षक की भर्ती नही की जावे।

अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी , उच्च न्यायालय जबलपुर के तर्कों से सहमत होकर, उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षकों के पक्ष में आदेश जारी करते हुए, जनजातीय कार्य विभाग एवम प्रतिवादियों को निर्देश दिए हैं, कि जब तक नियमित शिक्षकों की भर्ती उन विद्यालयों में नही होती, याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षक सेवा से पृथक नही किए जाएं।

आचार संहिता लगने से ढाई घंटे पहले तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति

नेता प्रतिपक्ष ने विरोध दर्ज कराया

भोपाल। मप्र विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से मात्र ढाई घंटे पहले तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की कवायद की जा रही है। इसके लिए सुबह 9.30 बजे मु यमंत्री निवास पर बैठक आयोजित की गई। नेता प्रतिपक्ष ने इसका विरोध किया है।

मप्र में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार अचानक नींद से जागी है। 2021 में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो आवेदन मांगे गए थे उन्हीं में से तीन की नियुक्ति की जा रही है। रविवार रात 9.30 बजे सामान्य प्रशासन विभाग की उपसचिव ने नेता प्रतिपक्ष डॉ टर गोविंदसिंह के निज सचिव एसपी बुंदेला को फोन पर सूचना दी कि सुबह 9.30 बजे सीएम हाउस में बैठक रखी गई है। नेता प्रतिपक्ष भोपाल से बाहर हैं, इसलिए वे बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने इस नियुक्ति प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए इसे रोकने को कहा है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर इन नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे का कहना है कि यह बैठक संघ के दबाव में हो रही है। संघ ने एक पत्रकार शर्मा का नाम दिया है। इसके अलावा छिंदवाड़ा के पूर्व कले टर चौधरी को भी सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। एक अन्य नाम भी हो सकता है।

कॉलेज में कबड्डी खेलते वक्त 20 वर्षीय छात्र हुआ बीमार, अस्पताल में हार्ट अटैक से हुई मौत

इंदौर। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के गुमास्ता नगर स्थित वैष्णव मैनेजमेंट कॉलेज में सोमवार को कबड्डी खेलने के बाद तेजस चौबे नाम के एक छात्र ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। कॉलेज में कबड्डी खेलने के बाद 20 वर्षीय छात्र तेजस चौबे की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद तेजस को अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डो टरों ने उसे मृत घोषित किया। बताया जा रहा है कि युवक की मौत हार्ट अटैक से मौत हुई है।

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कॉलेज में कबड्डी के लिए सिले शन था। तेजस जब कॉलेज आया था, तब ही उसने अपने दोस्तों को अपनी तबीयत को लेकर बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद अन्य छात्रों ने उसे खेलने से मना किया था। तेजस सभी के मना करने के बाद भी वह नहीं माना और कबड्डी खेला। जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई।

इसके बाद पांच-दस मिनट खेला और साइड में जाकर बैठ गया। उसको गैस बन रही थी। वह डकारें भी ले रहा था। इसके बाद वह उल्टी करने लगा। हमें लगा कि कुछ खा लिया होगा, जिस कारण से उसे एसिडीटी बन रही होगी।

तेजस को डा टरों ने बताया था पैरालाइज

तबीयत बिगड़ते ही तेजस मैदान में ही लेट गया। फिर सभी छात्र उसे लेकर नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां पहले तो हालत गंभीर देखते हुए भर्ती करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भर्ती किया। उसकी सांसे रूक गई थी। इसके बाद उसे सीपीआर दिया तो सांस आई। वहां मौजूद डो टरों ने बताया कि वह पैरालाइज हो गया था। गैस जमने और एसिडीटी के कारण साइलेंट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना दोपहर 2 बजे की है।

छात्र की मौत के बाद पूरे कॉलेज में छाया मातम

वैष्णव कालेज प्रबंधक ने बताया कि डीएवीवी में युवा उत्सव के दौरान कॉलेज के छात्र अ यास कर रहे थे, तभी छात्र तेजस की मौत हो गई। वहीं, छात्र की मौत के बाद पूरे कॉलेज में मातम छा गया। मंगलवार को कॉलेज की सभी कक्षाएं स्थगित रहेगी। संस्थान परिसर में दोपहर तीन से चार बजे तक चलित श्रध्दांजलि रहेगी।

ढाई साल की मासूम का लिवर फेल, दवा का ओवरडोज देने वाले डॉ टर पर केस दर्ज

भोपाल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ तत्कालीन शासकीय चिकित्सक पर प्रकरण दर्ज किया गया है। डॉ टर पर आरोप है कि उसने 23 माह की मासूम को बुखार के दौरान पैरासिटामॉल का ओवरडोज दिया, जिससे उसका दो बार लिवर फेल हो गया।

दरअसल, जीरापुर थाना क्षेत्र के लखोनी गांव के रहने वाले सुरेश दांगी ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को बीते वर्ष लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी कि जीरापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ तत्कालीन डॉ. गगन सिंह परिहार ने उनकी पुत्री कुमारी कल्पिता जिसकी उम्र तब 1 वर्ष 11 माह थी उसको उपचार के दौरान दवा का हाई डोज़ दिया। इस कारण उसका लिवर फेल हो गया। जांच दल गठित कर मामले की जांच कराई गई।

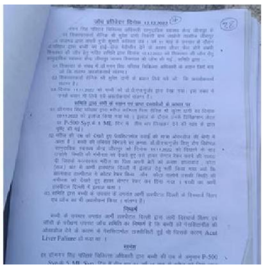

जांच में आया सामने

जांच समिति द्वारा लिए गए बयान एवं प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिवेदन के अनुसार डॉ. गगन सिंह परिहार द्वारा मरीज कल्पिता पिता सुरेश दांगी का 9 नवंबर 2022 को इलाज किया गया था। इलाज के दौरान उसकी दवाई पर्ची पर पी-500 सिरप पांच एमएल दिन में तीन बार लिखकर देने की स्वयं के द्वारा पुष्टि की गई। मरीज की उम्र को देखते हुए पैरासिटामॉल दवाई की यह मात्रा ओवरडोज की श्रेणी में आती है। ओवरडोज देने पर बच्ची की तबीयत बिगड़ने तो उसे डॉ. डी. एस. गुर्जर शिशु रोग विशेषज्ञ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जीरापुर को दिखाया गया। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल रेफर करने की सलाह दी। इस पर मरीज के पिता उसे झालावाड और अंत में सैन्य अस्पताल दिल्ली में इलाज हेतु ले गए। बच्ची का आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में इलाज चला। जांचों के परीक्षण उपरांत समिति का निष्कर्ष है कि बच्ची को पैरासिटामॉल का ओवरडोज देने के कारण से उसका लिवर फेल हो गया।

बिटिया अभी भी खतरे से बाहर नहीं

पीड़ित मासूम के पिता सुरेश दांगी ने बताया कि वे सेना में पदस्थ हैं और ज मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग है। उनकी बेटी को डॉ. गगन परिहार द्वारा दवा का ओवरडोज दिया गया। इस कारण 11 नवंबर 2022 को उसका पहली मर्तबा लिवर फैल हुआ। इसके बाद पिछले माह दूसरी बार उसके साथ यह घटनाक्रम हुआ। दिल्ली के डॉ टरों का कहना है कि मेरी बिटिया अभी भी खतरे से बाहर नहीं है।

डॉ टर पर केस दर्ज

जांच समिति की रिपोर्ट के व बच्ची की मां पवित्रा दांगी की शिकायत के आधार पर जीरापुर पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ केंद्र के तत्कालीन चिकित्सक डॉ. गगन परिहार के विरुद्ध धारा 336 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला विवेचना में लिया है।

ग्वालियर में दिनदहाड़े सरपंच की गोली मारकर हत्या, रंजिश में हुआ हमला, मौके से मिले 8-10 गोली के खोल

ग्वालियर। ग्वालियर जिले में बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े फायरिंग कर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से भाग खड़े हुए। मृतक ग्वालियर के ही बनेरी पंचायत का सरपंच बताया गया है और इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश को माना जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक घटना पड़ाव थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके की है। युवक अपनी कार के पास खड़ा था, तभी हमलावर आए और फायरिंग कर दी। युवक को सिर में गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। एकाएक हुए इस घटनाक्रम से पूरा इलाका दहशत में है और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर 8 से 10 चले हुए कारतूस भी बरामद हुए हैं। स्थानीय निवासी राजू सेंगर ने बताया कि वे अपने निवास पर थे तभी अचानक से उन्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। जब तक वे निकलकर बाहर आए, तब तक गोली चलने की आवाज बंद हो चुकी थीं और हमलावर भी भाग चुके थे। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो एक कार के पास युवक लहूलुहान हालत में पड़ा था। इस पर मोहल्ले के अन्य लोग भी इकट्ठे हो गए, लेकिन तब तक युवक ने दम तोड़ दिया था।

युवक की पहचान विक्रम रावत के रूप में हुई, जो कि बनेरी पंचायत का सरपंच है और यहां अपने किसी केस के सिलसिले में यहां निवास करने वाले एडवोकेट प्रशांत शर्मा के यहां आया हुआ था। ग्वालियर एसपी राजेश चंदेल ने बताया कि यहां विक्रम रावत जो कि थाना आरोन के बनेरी पंचायत के सरपंच हैं और यहां किसी वकील से मिलने आए थे। उनकी एक बाइक पर सवार होकर आए दो लोगों और तीन अन्य लोगों ने गोली मार कर हत्या की है। मृतक का अपने ही गांव के लोगों से कोई पुराना विवाद चल रहा है और उसमें उनकी पेशी भी होनी थी, पुलिस द्वारा फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।

शासकीय/अर्द्धशासकीय / निगम मण्डल/स्थानीय निकाय के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित

सिवनी यशोः- कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन की घोषणा 09 अे टूबर 2023 से निर्वाचन परिणाम घोषित होने 5 दिसंबर 23 तक की अवधि के लिये जिले के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय / निगम मण्डल/स्थानीय निकाय के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधत किया गया है।
समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि जिला प्रमुख प्रथम श्रेणी के अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बगैर एवं द्वितीय श्रेणी/तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी / कर्मचारी मु य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी की अनुमति के बगैर अवकाश के लिये प्रस्थान नहीं करेंगे तथा न ही मु यालय छोड़ेंगे। उक्त आदेश का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व 1951 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत एक पक्षीय दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

विधानसभा क्षेत्र लखनादौन निर्वाचन से संबंधी सूचनाएं एवं शिकायत हेतु कंट्रोल रूम स्थापित

सिवनी यशोः- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहित लागू हो गई है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक- 117 लखनादौन श्री हिमांशु जैन द्वारा विधानसभा क्षेत्र लखनादौन निर्वाचन से संबंधी सूचनाएं एवं शिकायत हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक- 07690-220122 है एवं जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07692- 225866 है।

पेंच टाइगर रिजर्व ने वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह में विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया आयोजन

सिवनी यशोः- आम जनता एवं स्कूली विद्यार्थियों में वन एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष अे टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। इसी तारत य में पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी एवं वनवृत्त सिवनी द्वारा संयुक्त रूप से वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

दिनांक 1 अे टूबर को सहभागिता भवन, बारापत्थर, सिवनी में दीवाल चित्रकला प्रतियोगिता, हथेली प्रतियोगिता एवं मेंहदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यार्थियों एवं आम जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 2 अे टूबर को विद्यार्थियों, वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, आम जनता ने लगभग 5 किमी साईकिल चलाकर वन, पर्यावरण एवं वन्यप्राणी की रक्षा हेतु आम जनता को जागरूक करने का संदेश दिया। रैली का शुभार भ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। जिसमें लगभग 800 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

3 अे टूबर को तात्काली भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें माध्यमिक एवं हायरसेकेण्डरी के विद्यार्थियों ने भाग लिया। 4 अे टूबर को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गयी, जिसमें दो वर्गो में माध्यमिक एवं हायरसेकेण्डरी के विद्यार्थियों ने भाग लिया। 6 अे टूबर को समूह गायन प्रतियोगिता आयोजित की गयी, जिसमें विद्यार्थियों एवं आम जनता ने वाद्ययंत्रों सहित वन एवं वन्यप्राणी से संबंधित विषय वस्तु पर सामूहिक गायन किया। समस्त प्रतियोगिता में सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण स्कूलों तथा आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ का भाग लिया। समस्त प्रतियोगिता में 25 स्कूलों जिनमें अरूणाचल पब्लिक स्कूल, सिवनी, महर्षि विद्या मंदिर, सिवनी, उदय पब्लिक स्कूल, सिवनी, मिशन बालक उच्चतर माध्यमिक, शास. उच्चतन माध्यमिक विद्यालय, खमारपानी, शासकीय हाई स्कूल जैतपूर, शासकीय हाई स्कूल, सिलोटा, माडर्न हायर सेकेण्डरी स्कूल, सिवनी, सिवनी, पब्लिक स्कुल, महारानी लक्ष्मी बाई शासकीय कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, सिवनी, लिटिल लावर स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, शासकीय हाई स्कूल बांसखेड़ा, शासकीय उच्चतर विद्यालय, गुमतरा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, सिवनी, के लगभग कुल 630, जिनमें 200 छात्र तथा 330 छात्राएं एवं 100 आम नागरिकों ने भाग लिया।

दिनांक 1 से 6 अे टूबर तक आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिनांक 7 अे टूबर को सहभागिता भवन, वन संरक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से स मानित किया गया। समापन समारोह में उपस्थित सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं गणमान्य सदस्यों को वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण की सपथ दिलाई गई। इस अवसर पर क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी ने वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह में आयोजित सभी विजेता प्रतिभागियों को पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी भ्रमण कराये जाने की घोषणा की।

निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कुलस्ते प्रदान करेंगे आधुनिक सुविधायुक्त ए बुलेंस

मंडला यशोः- निवास विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवास में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने हेतु आधुनिक सर्व सुविधायुक्त ए बुलेंस की सुविधा क्षेत्र की जनता के सेवार्थ 7 अे टूबर को समर्पित करेंगे।
आधुनिक स्वास्थ सुविधा युक्त एंबुलेंस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा सी एस आर फंड से निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए उपलब्ध कराई गई है। आई सी यू युक्त एंबुलेंस की उपलब्ध होने से गहन रूप से बीमार मरीज को संजीवनी की तरह मदद मिल सकेगी।

कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स जोन) घोषित

सिवनी यशोः- भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही सिवनी जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कले टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल द्वारा विधानसभा निर्वाचन अवधि के दौरान राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार के कार्य में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग व लोक प्रशांति बनाए रखने हेतु विधानसभा आम निर्वाचन 2023 निर्विघ्न, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष व व्यवस्थित तरीके से स पन्न करवाने, कानून व्यवस्था व लोकशांति बनाये रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से लोकहित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा- 18 के तहत स पूर्ण सिवनी जिले की राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स जोन) घोषित किया गया है।
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तहत संपूर्ण जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम- 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का ट्ट वाल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैद्य ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा। शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कले ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जावे आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। किसी भी आमसभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति हेतु अपने-अपने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की अनुशंसा के आधार पर अनुभाग / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रांतर्गत के अनुविभागीय दण्डाधिकारी रिटर्निंग से प्राप्त करनी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधान अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश प्रतिबंधित
आदेश का उल्लंघन करने की दशा में होगी दंडात्मक कार्यवाही

सिवनी यशोः- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 09 अे टूबर 2023 को म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी हैं। कले टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा उपरांत तथा आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रावधान तहत असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर सांप्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुँचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने से रोक लगाने के उद्देश्य से जिला सिवनी अंतर्गत व्यक्तियों एवं सामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया का प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर इत्यादि पर सांप्रदायिकता तथा जातिगत विद्वेष दुर्भावनापूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाईक, ट्यूटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो-वीडियो इत्यादि स मिलित हैं, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो प्रसारित नहीं करेगा या भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, सांप्रदायिक तथा जातिगत भावनाएं भड़क सकती हो को कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जि मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों तक अथवा समुदाय के मध्य घृणा वैमनश्यता पैदा करने के या दुष्प्ररित करने या उकसाना या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यम से नहीं करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भड़काने उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोगों या समुदाय विशेष में हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियां उत्पन्न हो जाए को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न हीं ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिसे किसी व्यक्ति संगठन समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या कोई विशेष कार्य गैर कानूनी गतिविधियों को करने हेतु आहवान किया गया हो जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 साइबर विधि तथा अन्य अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

निर्वाचन कार्यवाही पूर्ण होने तक ग्राम सभाओं की बैठक प्रतिबंधित

सिवनी यशोः- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषणा के उपरांत से ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। अतएव भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी श्री क्षितिज सिंघल द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की कार्यवाही पूर्ण होने तक ग्राम सभाओं की बैठक स्थगित कर दी गई है।

भारत यात्री श्रीमती नंदा हात्रे का परिवर्तन यात्रा में आगमन हुआ
मैं मोहन भाई का साथ देने एवं उनका हौसला बढ़ाने यहां आई हूं - नंदा हात्रे

यात्रा प्रारंभ करते समय यह अनुमान नहीं था कि यह लंबे समय तक चलेगी - मोहन चंदेल

सिवनी यशोः- जिला पंचायत सिवनी के पूर्व अध्यक्ष एवं विधानसभा क्षेत्र सिवनी के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी श्री मोहन सिंह चंदेल द्वारा इस समय ग्राम स्वराज परिवर्तन यात्रा की जा रही है जो की विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर रही है। आज की परिवर्तन यात्रा में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की सचिव व मध्य प्रदेश की प्रभारी श्रीमती नंदा हात्रे का का आज चमारी आगमन हुआ और वे चमारी की नुक्कड़ सभा में स मिलित हुई।
सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज आपकी यात्रा में आकर भारत जोड़ो यात्रा की यादें ताजा हो गई है। उन्होंने बताया कि जब राहुल गांधी जी ने इस यात्रा का निश्चय किया था तो उस समय भी लोगों ने उन पर उंगली उठाई थी कि इस यात्रा से ` या होगा परंतु हम जब पुरी यात्रा में दक्षिण से लेकर उत्तर तक चल 12 प्रदेशों से यह यात्रा गुजरी तब हमने अपने हिंदुस्तान को समझा। कि हमारे हिंदुस्तान के लोग कितने भावुक हैं और उनकी भावना को समझने के लिए उन तक पहुंचना जरूरी है उन्होंने कहा की बातें तो फोन पर भी हो सकती है परंतु लोगों के बीच जाकर उनके बीच बैठकर उनके साथ कुछ समय विताकर ही उनके दिल की बात को सुना जा सकता है। राहुल जी लोगों की दिलों की आवाज सुनने ही लोगों के बीच गए।

दूसरी तरफ एक और नेता है जो मन की बात करते हैं पर जन की बात नहीं करते हैं।

श्रीमती हात्रे ने कहा कि महात्मा गांधी ने भी पूरे देश को समझने के लिए यात्रा की थी राहुल गांधी जी ने भी देश को समझने के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा की है।यही काम पिछले कई वर्षो से भाई मोहन चंदेल कर रहे हैं। मैं उनके कार्य की सराहना करती हूं और लोगों से इस परिवर्तन यात्रा के बारे में जानकर और सुनकर मेरी इच्छा हुई कि मैं भी इस यात्रा में स मिलित होकर चार कदम साथ में चलूं। चूंकि मोहन भाई एक अच्छा कार्य कर रहे हैं इसलिए मैं उनका साथ देने एवं उनका हौसला बढ़ाने यहां पर आई हूं।
इसके पूर्व पदयात्रा के मु य पदयात्रा एवं परिवर्तन यात्रा के संयोजक श्री मोहन सिंह चंदेल ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा पूज्य महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर और उन्हें आत्मसात कर 2 अे टूबर 1994 को प्रारंभ की गई थी। उसे समय इस बात का अनुमान नहीं था कि इस यात्रा को इतने लंबे समय तक निरंतर किया जाएगा परंतु हर बार पदयात्रा समाप्त होने के दिन साथियों के द्वारा प्रेरणा मिलने पर इसे निरंतर आगे बढ़ाया जाते रहा है।

चंदेल ने यात्रा को पिछले 30 वर्षो में लोगों से मिले सहयोग एवं प्यार के लिए समस्त जिले वासियों का धन्यवाद किया

चंदेल ने आगे कहा कि इस बार यात्रा का नाम ग्राम स्वराज परिवर्तन यात्रा इसीलिए रखा गया हैं योंकि इस बार विधानसभा क्षेत्र सिवनी से एवं प्रदेश से काम नहीं करने वालों केवल बात करने वालों का परिवर्तन करना बहुत आवश्यक हो गया है।
आज परिवर्तन यात्रा ग्राम तिनसा चंदेनी खटकर चौक जुबान खमरिया नंदिया होते हुए चमारी पहुंची। यहां पहुंचने पर क्षेत्रीय जनों में ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवल सिंह ठाकुर से टर अध्यक्ष निर्मल सिंह ठाकुर एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष रंगलाल धुर्वे के नेतृत्व में बजे बजे के साथ यात्रा का स्वागत किया गया।
आज की यात्रा में पूर्व विधायक रमेश चंद्र जैन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाब साहू जनपद पंचायत छपारा के पूर्व अध्यक्ष रंगलाल धुर्वे जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री संजय बेस शरद जैन छोटू पटेल खटकड़ सुनील उईके पार्षद चांदनी अरशद पटेल श्री ठाकुर गजराज सिंह की श्री प्रेम भलावी श्याम सिंह ठाकुर नांदिया अशोक ठाकुर मड़वा शैलेंद्र भलावी मदवा अफरोज मिर्जा भरगा श्रीमती आशा चंदेल श्री विनोद यादव ददुआ पटेल एवं पंकज मिश्रा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

विधायक दिनेश राय ने श्राद्धपक्ष मे बडे भाई का तर्पण कर नमन किया
दुल्हादेव मंदिर मे किया पूजन-अर्चन

सिवनी यशोः- मंगलवार 10 अे टूबर को सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने अपनी दादी के साथ श्राद्धपक्ष पर तर्पण कर नमन किया। विधायक दिनेश राय मुनमुन जी ने आज प्रातः समय श्राद्ध पक्ष पर भगवान सूर्य को अर्ध्य अर्पित कर अपनी 103 वर्षीय दादी जी के साथ बड़े भाई पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्गीय जितेन्द्र राय जी (पप्पू भैया) को पुष्प अर्पित कर विधि विधान से तर्पण कर नमन किया। इसके साथ ही आपने दादी जी के चरण स्पर्श आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी ने प्रातः 10:30 बजे नरसिंहपुर पहुंचकर दुल्हादेव मंदिर मे भगवान के दर्शन व पूजन-अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

जिले में सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर धारा 144 लागू

सिवनी यशोः- कले टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल द्वारा जिले में सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत नि नाकिंत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी एवं पूर्वानुमति के बिना आयोजित नहीं किए जाएंगे। ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंध होगा। बिना अनुमति पंडाल आदि निर्माण प्रतिबंधत होंगे। इले ट्रनिक संसाधन जैसे मोबाईल, क प्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरूद्ध संदेश के प्रसारण अग्रेषण स प्रदायिक टिप्पणी प्रतिबंध होगी। पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेगें।

कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन / साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय / अशासकीय स्कूल मैदान / भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह, या अन्य या डी. जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड / डी.जे. / ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।कोई व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वनशील प्रदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। कसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में फटाखे / विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद / फटाखों का संग्रह निर्माण या परिवहन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी व अनुमति बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड़, रास्तों, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न नहीं करेंगे या किसी भी व्यक्ति को आने जाने या उसके कार्य करने से नहीं रोकेगें। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया / इले ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, क प्यूटर, फेसबुक, ईमेल, व्हाट्सऐप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, स प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजन मेसेज / चित्र / कमेंट / बैनर / पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति किरायादार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देना होगा। समस्त होटल / लॉज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेगा ।

उक्त निर्देश / प्रतिबंध / प्रावधान कानून व्यवस्था बनाये रखने के उपाय सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं निर्वाचन कार्य में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लागू नहीं होंगे। सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल ने किसी भी कार्यक्रम सभा, आम सभा आदि की अनुमति के लिए उस क्षेत्र अनुविभागीय दण्डाधिकारी के सक्षम अधिकारी को प्राधिकारी घोषित किया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

राज्य स्तरीय पर्यटन क्विज 2023 मे बुढ़ेना कला बरघाट ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर रचा इतिहास

बरघाट यशोः- राज्य स्तरीय पर्यटन क्विज 2023 सिवनी जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़ेना कला बरघाट ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर रचा इतिहास. देश के हृदय स्थल में स्थित भारत का दिल मध्य प्रदेश जो अपने प्राकृतिक संसाधनों , धरोहर ,संस्कृति ,आध्यात्म एवं सामाजिक समरसता को अपने में समाए हुए हैं। जो कि पूरे भारतवर्ष में विविधता में एकता में अपनी एक अलग पहचान रखता है , इन्हीं सब को रूबरू कराने के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा आओ मध्य प्रदेश को जाने, समझे और कुछ समय यहां सुकून के बिताए ,, हेतु मध्य प्रदेश में विद्यालय स्तर पर मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन प्रथम चरण में जिला स्तर पर होता है । जहां पर मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के जिला मु यालय मे सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों की जिले स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रत्येक जिले की विजेता टीम प्रदेश स्तर पर उसे जिले का प्रतिनिधित्व करती है। मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2023 में अपनी श्रेष्ठता को पुनः साबित करते हुए सिवनी जिला मु यालय से 30 किलोमीटर दूर बरघाट तहसील के ग्रामीण अंचल में स्थित विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़ेनाकलां की टीम ने जिला कले टर क्षितिज सिंघल के निर्देशन और शिक्षक रवि कटरे के कुशल मार्गदर्शन में जिले की विजेता टीम जिसमे मीनाक्षी बिसेन कक्षा बारहवीं , देव्यांश चौधरी कक्षा ग्यारहवीं, प्रिंसी शरणागत कक्षा नवमी ने भोपाल में आयोजित प्रदेश की सबसे बड़ी और रोमांच से भरी क्विज प्रतियोगिता में स मिलित हुए। उल्लेखनीय है कि जिले की इस सबसे बेहतरीन टीम को जिला कले टर महोदय क्षितिज सिंघल, जिला शिक्षा अधिकारी एस एस कुमरे , मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के जिला नोडल अधिकारी संदीप मिश्रा तथा पर्यटन क्विज प्रतियोगिता के जिला क्विज मास्टर संदीप मिश्रा आशु द्वारा भी समय - समय पर इन्हें प्रदेश स्तर पर जिले की श्रेष्ठता को साबित करने हेतु प्रेरित किया गया । इसी सूत्र वो य को विद्यालय के शिक्षक और तीनों बच्चों ने राज्य स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2023 में गांठ बांधकर यहां से रवाना हुए, जिसे उन्होंने प्रदेश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पुराना मिंटो हॉल मे आयोजित राज्य स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2023 मे पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया । कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल मे मध्यप्रदेश के सभी 52 जिलों से आई विजेता टीम के बीच प्रथम चरण की प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रथम चरण के उपरांत सुपर 6 टीमों ने प्रतियोगिता के सबसे रोमांचकारी और उत्साह से भरे दूसरे चरण मल्टीमीडिया क्विज के लिए क्वालीफाई किया। इसमें जिला धार, सतना , मंदसौर , सिवनी , सीधी और गुना जिले की टीमों के बीच मल्टीमीडिया क्विज आयोजित की गई। सरकारी स्कूल की टीम ने प्रदेश में परचम लहराया .सिवनी जिले के बरघाट तहसील की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़ेना कला की टीम ने पुनः अपनी प्रतिष्ठा को साबित करते हुए उतार-चढ़ाव भरे इस मुकाबले में 60 अंकों से विजय होकर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया । मल्टीमीडिया क्विज में कुल 11 चरण हुए , जिसमें सातवें राउंड तक सतना जिले की टीम लगातार बढ़त बनाए हुए थी । वही सातवें राउंड के बाद सिवनी जिले की टीम ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए धीरे-धीरे बढ़त बनाना प्रारंभ किया ।दसवीं राउंड तक 100 अंक की एक निर्णायक बढ़त हो चुकी थी । अंतिम रूप से 60 अंकों से इस टीम ने पर्यटन क्विज के इतिहास में जिले का नाम एवं अपने विद्यालय का नाम प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त दर्ज कराया । पूरी प्रतियोगिता में सभी टीमों को तीन लाइफ लाइन दी गई थी , वहीं जिले की टीम ने अपने सूझबूझ से खेलते हुए दो लाइफ लाइन का उपयोग किया। प्रदेश के इस सबसे बड़े मंच से क्विज प्रतियोगिता की तैयारी के बारे में टीमों से पूछा गया । जहां पर बड़े-बड़े विद्यालयों ने अपनी तैयारी के बारे में कोचिंग ` लास , सिविल सर्विस परीक्षा के नोट्स आदि स्रोतों से अपनी तैयारी के बारे मे बताया । वही फाइनल की सबसे आकर्षक और सबसे छोटे बच्चों के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली जिले की इस टीम ने अपनी तैयारी का पूरा श्रेय अपने मार्गदर्शन शिक्षक रवि कटरे को दिया । साथ ही इस हेतु उन्होंने जिला प्रशासन , शिक्षा विभाग और अपने विद्यालय का प्रोत्साहन भी बताया ।उन्होंने बताया कि हमारी जितनी पुस्तक है , जो भी हमारे स्रोत हैं वह हमारे मार्गदर्शक शिक्षक है । वही हमें दिन-रात एक करके इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किया । वह हमसे ही मेहनत ही नहीं करवाते थे साथ ही खुद भी मेहनत करते थे। मेहनत के साथ उन्होंने हमारे में एक जुनून भरा और इसी जुनून ने हमें आज इस मंजिल तक पहुंचाया। सभी 6 टीमों को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मनीषा सेतिया ,अपर प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड विवेक श्रोत्रीय ने विजेता टीमों को पुरूस्कार स्वरूप निशुल्क टूर पैकेज , कूपन मेडल और ट्रॉफी प्रदान किया वही विजेता टीम सिवनी जिले को स्पेशल ट्रॉफी अलग से प्रदान की गई। इस परीक्षा में पूरे प्रदेश में 7300 छात्र, छात्राओ सहभागिता की थी । प्रदेश की सभी टीमों ने दूसरे दिन भोपाल में प्रथम बार आयोजित एयर शो में वायु सेवा वायु सेना के माध्यम से एयर शो का लुत्फ उठाया। जहा टीमों को पुरुस्कृत किया गया। विद्यालय मे स मान समारोह आयोजित किया गया

प्रदेश की पर्यटन विजेता टीम को स मानित करने हेतु शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढैना कला में जिला प्रशासन के सहयोग से स मान समारोह आयोजित किया गया ।यह स मान समारोह सांसद डॉ टर ढालसिंह बिसेन के मु य आतिथ्य और जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र लकी अमूले की अध्यक्षता में आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम में एस डी एम महोदय बरघाट कमलेश अग्रवाल, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के जिला नोडल अधिकारी संदीप मिश्रा , जिला क्विज मास्टर संदीप मिश्रा आशु , विद्यालय के प्राचार्य एस डी मैकेंजी ,पूर्व प्राचार्य आर के राहंगडाले ग्राम के सरपंच महोदय अशोक उइके ,ग्राम खारी सरपंच सुनील पंचेश्वर ग्राम नगझिर से उप सरपंच उपेंद्र सिंह ठाकुर सहित विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों ,बच्चों , पालकों की उपस्थिति रही । इस कार्यक्रम के पूर्व ग्राम खारी से विद्यालय तक ग्रामीण जनों द्वारा स मान देने हेतु एक रैली आयोजित की गई , जिसका समापन विद्यालय के कार्यक्रम स्थल पर हुआ । इस गौरवमई सफलता हेतु सांसद महोदय ने विद्यालय की भूरि भूरि प्रशंसा की और कहा कि हम सभी के लिए यह एक संदेश है कि सरकारी स्कूलों में भी पढ़कर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हम सफलता प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं । कम से कम संसाधनों में भी पढ़कर हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। वही लकी अमुले जी ने कहा की यह विद्यालय सिवनी जिले के लिए एक मिशाल है। जो हर क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। साथ ही यहां के शिक्षक भी हमेशा विद्यालय के विकास हेतु समर्पित रहते हैं। नोडल अधिकारी संदीप मिश्रा जी ने इस हेतु विद्यालय के शिक्षकों की भूरि भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्विज ही नही हर प्रतियोगिताओं में यह विद्यालय जिले को लीड करता है। वही क्विज मास्टर संदीप मिश्रा आशु ने कहा कि क्विज का यह विद्यालय पर्याय बन चुका है, और इस विद्यालय का भविष्य और भी स्वर्णिम होगा। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन प्राचार्य एस डी मैकेंजी द्वारा किया गया।

श्री सिंहवाहिनी मंदिर में संगीतमय श्री रामकथा का आयोजन

मंडला यशोः- श्री सिंहवाहिनी सेवा मंडल के तत्वाधान में बीते दिन 15 अे टूबर से प्रारंभ होने जा रही नवरात्रि एवम् विजयदश्मी पर्व को लेकर श्री सिंहवाहिनी मंदिर नावघाट में मंडल की सामान्य सभा की बैठक हुई जिसमें सभी सदस्यों ने त्यौहार को भव्यता सहित संस्कारित तरीके से मनाए जाने का निर्णय लिया है। अरविंद शु ला अध्यक्ष, सिंहवाहिनी सेवा मंडल ने बताया है कि इस वर्ष शारदेय नवरात्र में मंडल द्वारा प्रथम दिवस बैठकी के दिन से ही देवी कलश स्थापना के बाद रात्रि 9 बजे से रामलीला मैदान में संगीतमय श्री रामकथा का आयोजन किया जाएगा जो दुर्गा नवमी तिथि तक चलेगा। श्री राम कथा पंडित रामगोपाल दुबे नीलू महाराज एवम् उनके संगीत कलाकारों द्वारा प्रस्तुत होगी।इसके अतिरिक्त दुर्गा सप्तमी तिथि को रात्रि 10.30 बजे भगवती सिंहवाहिनी की सामूहिक महाआरती तथा दुर्गा नवमी को सुबह 11 बजे से विशाल भंडारा का आयोजन रखा गया है। नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा अर्चना के साथ सुबह शाम आरती एवम् पाठ हवन होंगे। श्री सिंहवाहिनी सेवा मंडल सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों एवम् श्रद्धालुओं को कार्यक्रमों में उपस्थिति की अपील की है।

घाट में जमी कापू से श्रृद्धालुओं को हो रही परेशानी

मंडला यशोः- उपनगरीय महाराजपुर के संगम घाट में करोड़ों की लागत से बने घाट कापू के कारण अनुपयोगी हो गए हैं। लोगों को मिट्टी में स्नान करना पड़ रहा है। वहीं घाट के आसपास लोग कचरा फेंकने का काम करते हैं। जिससे यहां कचरा व पॉलिथिन जमा हो जाती है। बताया गया कि विगत वर्ष एक समाजसेवी द्वारा संगम घाट में जमा कापू का श्राद्ध के पूर्व अलग करवाया गया था, जिसके बाद बने घाट तक पानी पहुंच पाया था, लेकिन इस वर्ष बाढ़ में जमा कापू घाट में बनी सीढियों से करीब 20 से 30 फिट चौड़ाई में

फैली हुई है। जिसके कारण यहां तर्पण करने आने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों को कापू पार करके संगम जाना पड़ रहा है। बता दे कि संगम घाट का पुराव होता जा रहा है, मिट्टी और कापू प्रतिवर्ष जमा होने से नर्मदा संगम क्षेत्र का जल स्तर कम हो रहा है, जमा होने वाली कापू के कारण घाट से करीब 100 फिट की दूरी में पानी की गहराई भी कम हो गई है। धीरे-धीरे पुराव होने से नर्मदा का पाट सकरा होते जा रहा है।

संगम घाट पर खतराः

तर्पण करने आए लोगों ने कहां कि संगम में बने घाट उपयोगी हो सकते है, लेकिन यहां का स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि ध्यान दे तो। नहीं तो करोड़ों रूपए खर्च करा बनाया गया संगम के घाट इसी कापू में दफ्न हो जाएगे। इस ओर प्रसाशन को ध्यान देना चाहिए। संगम में बने घाट के सामने से मिट्टी हटाकर समतलीकरण कर दिया जाए तो पानी फिर घाट तक पहुंच सकता है। प्रशासन बारिश के बाद संगम में जमा कापू को यहां हटावा कर अन्य क्षेत्रों में डलवा दे तो यहां संगम के घाट एक बार फिर जीवंत हो सकते है। यदि इसी तरह लापरवाही बरती गई तो कुछ ही वर्षो में संगम का भी अस्तित्व खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा।

कु हा घाट से सेलवारा (सिवनी) के बीच नर्मदा नदी पर बनेगा उच्च स्तरीय पुल

मंडला यशोः- जनपद पंचायत नारायणगंज क्षेत्र के ग्राम कू हा से सिवनी जिले के ग्राम सेलवारा के बीच नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग की स्वीकृति मंडला सांसद निवास विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते के प्रयास से लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा प्रदान की गई है। 79 करोड़ 55 लाख 32 हजार रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल के निर्माण की आधार शिला ग्राम कू हा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री कुलस्ते ने रखी इस अवसर पर बड़ी सं या में स्थानीय नागरिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।इस अवसर पर आम जनता को संबोधित करते हुए श्री कुलस्ते ने कहा कि इस पुल के बनने से मंडला और सिवनी जिले के ग्रामों का न केवल संपर्क और आवागमन सुलभ होगा बल्कि क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक रूप से भी विकास होगा। उन्होंने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ भी सीधे लोगों को मिल सकेगा। वर्षों पुरानी जनमांग की स्वीकृति मिलने पर श्री कुलस्ते ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मु यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री गोपाल भार्गव के प्रति भी आभार व्यक्त किया।

4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

मण्डला यशोः- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवास जिला मंडला ने ग्राम पद्दीकोना निवासी स्व. सोनाराम पिता ल मू की 23 जुलाई 2023 को सर्पदंश से मुत्यु हो जाने के कारण मृतक के निकटतम वारसान ल मू पिता अचलू को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता की राशि स्वीकृत की है। उक्त राशि आरबीसी 6-4 के तहत प्रदान की गई है।

निर्वाचन आयोग के तहत संपत्ति विरूपण के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें

शासकीय कार्यालयों, भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों से ले स, बेनर, झंडे और पोस्टर हटाए जाएँ

मंडला यशोः- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता के तहत जिले में संपत्ति विरूपण मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम, आयुष अधिनियम और एमसीएमसी के तहत् कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जिससे जिले में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन किया जा सके। कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही संबंधित दलों को

अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत सभी शासकीय कार्यालयों, भवनों और शासकीय स्थानों से ले स, बैनर, पोस्टर और झंडे हटाने के निर्देश दिए। सभी कार्यालयों को संपत्ति विरूपण के तहत दीवार लेखन को भी मिटाना होगा। उन्होंने लोकार्पण एवं भूमिपूजन स्थल के नामों को ढकने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत वाहनों से नेमप्लेट, झंडे एवं चिन्ह हटाने होंगे। कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने बैगा-बैगी चौक, उदयचौक, रेडक्रॉस, अ बेडकर चौक, जिला चिकित्सालय, बस स्टेंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक और नेहरू चौक का निरीक्षण किया और शासकीय स्थानों से लै स, बैनर, झंडे और पोस्टर हटवाने की कार्यवाही की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, सहायक कले टर रवि सिहाग, अपर कले टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार सिंह, एसडीएम ऋषभ जैन उपस्थित रहे।

आदर्श आचरण संहिता का स ती से पालन सुनिश्चित करें - डॉ. सिडाना

स्टेडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

मंडला यशोः- विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के तहत कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना की अध्यक्षता में स्टेडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन कार्यक्रम तथा निर्वाचन के संबंध में की गई प्रशासनिक तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, अपर कले टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार मिश्रा, सहायक कले टर रवि कुमार सिहाग तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित संबंधित उपस्थित रहे।

कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी राजनैतिक दल आदर्श आचरण संहिता का स ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जिसके तहत राजनैतिक, गैर राजनैतिक सभा, जुलूश, रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त की जानी होगी। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-188 सहित अन्य विधियों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार स पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अंतर्गत शासकीय संपत्ति पर किसी भी प्रकार से संपत्ति विरूपण किया जाना वर्जित होगा। निजी संपत्ति पर केवल संबंधित की लिखित सहमति के पश्चात ही प्रचार-प्रसार सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। कले टर ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि के लिए सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही निर्वाचन व्यय निगरानी दल सक्रिय हो गया है, अब किसी भी अप्राधिकृत लेन-देन पर वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय तथा गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व प्रत्याशियों को आय-व्यय में पारदर्शिता रखनी होगी एवं व्यय से संबंधित सभी बाउचरों एवं लेखाओं का विधिवत संधारण करना होगा। अ यार्थियों को व्यय लेखा संधारण हेतु नया बैंक खाता खोला जाए। अ यर्थी व्यय लेखा संधारण हेतु एक व्यय लेखा एजेंट पृथक से नियुक्त कर सकेंगे।

कले टर डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि समस्त प्रकार की इले ट्रानिक मीडिया अंतर्गत प्रसारित की जाने वाले राजनैतिक विज्ञापन केवल जिला एमसीएमसी कमेटी के पूर्व प्रमाणीकरण के पश्चात ही जारी किए जा सकेंगे। सोशल मीडिया भी इले ट्रानिक मीडिया की श्रेणी में आता है। जिला एमसीसी कमेटी का संचालन जिला पंचायत कार्यालय कक्ष क्रमांक 3 से होगा। उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार में धर्म, वर्ग, जाति, संप्रदाय तथा प्रत्याशियों के व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ न्यायपालिका, राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता गरिमा के विरूद्ध किए जाने वाले किसी भी प्रकार के व्यक्तव्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। बैठक में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन, शिकायत प्रकोष्ठ, एसएसटी एवं एफएसटी आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने निर्वाचन के दौरान जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था तथा मतदान दल एवं मतदान केन्द्रों की सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी।

यादव समाज ने माननीय राज्यपाल के नाम कले टर को सौंपा ज्ञापन

ग्वालियर में यादव समाज यदुवंशी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेश यादव के खिलाफ फर्जी मुकदमा की जांच की मांग की गई

मंडला यशोः- कुछ दिन पहले ग्वालियर में गुर्जर समाज द्वारा गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया गया था। जिसमें मु य अतिथि के रूप में यादव समाज यदुवंशी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेश यादव को बुलाया गया था। जहां पर पुलिस ने यादव समाज और गुर्जर समाज पर आरोप लगाया गया था कि यादव समाज और गुर्जर समाज के द्वारा जनता को भड़काने जैसे भाषण देने व दंगा फैलाने का काम कर रही हैं। जिसके चलते यादव समाज और गुर्जर के साथ पुलिस से झड़प हो गई थी। जबकि उक्त स पूर्ण घटना से यादव समाज यदुवंशी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुपेश यादव का कोई स बंध नहीं था। किन्तु इसके बाद भी पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। जिससे समस्त यादवों समाज में रोष व्याप्त है। उक्त संगठन ने मंडला कले टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर मांग की गई है कि रूपेश यादव के खिलाफदर्ज की गई समस्त झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किया जाये और उनको तुरंत छोड़ा जाये, नहीं तो समस्त यादव समाज स पूर्ण म.प्र. में उग्र आलोदन करेंगी जिसकी जि मेदारी स्वयं शासन-प्रशासन की होगी।

दैनिक यशोन्नति की और खबरों तथा वीडिओ के लिये एप डाउनलोड करें -https://dainikyashonnati. com

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक मुद्रक राजेश अग्रवाल द्वारा,नवीन प्रिंटर्स बीझांवाड़ा रोड अकबर वार्ड सिवनी से मुद्रित एवं काली चौक टैगौर वार्ड सिवनी से प्रकाशित संपादक- मनोज मर्दन त्रिवेदी ईमेल-yasonati@gmail.com न्यायालीन क्षेत्र अधिकार सिवनी , 9425843297